राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश,
अनुभाग–3,ता0ना0त0
संख्या–506 /3–ता0ना0त0–147/2024–25,
लखनऊ: दिनांक 13 –02–2025,

आदेश/पदोन्नति/तैनाती

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक(नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली 2003 यथासंशोधित 2023 में प्राविधानित व्यवस्था के अधीन चयन वर्ष 2024–25 की घटित होने वाली रिक्तियों के सापेक्ष पोषक संवर्ग राजस्व निरीक्षक से नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति हेतु लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या–80(2)/42/पी/सेवा–1(05)/2024–25 दिनांक 08–11–2024 के माध्यम से प्राप्त संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त परिषद द्वारा परिषदादेश संख्या–4376/3–ता0ना0त0–147/2024–25, दिनांक 22.11.2024 में उल्लिखित राजस्व निरीक्षकों की नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति हेतु आयोग की संस्तुति को स्वीकार किया गया।

2– . उक्त परिषदादेश दिनांक 22.11.2024 के प्रस्तर–2 के अनुसार चयन वर्ष 2024–25 में दिनांक 31.01.2025 को घटित रिक्तियों के सापेक्ष परिषदादेश दिनांक 22.11.2024 के अन्तर्गत परिषद, एतद्द्वारा निम्न तालिका में अंकित राजस्व निरीक्षकों को नायब तहसीलदार के पद पर वेतन बैंड–2, के वेतनमान रूपये 9300–34800, ग्रेड वेतन रू 4200/–(सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल–6 में वेतन रूपये 35400–112400) में प्रोन्नत कर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–6 में अंकित जनपद में तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखने का आदेश प्रदान करते हैं–

क0 सं0	ज्येष्ठता सूची का कमांक	राजस्व निरीक्षक का नाम	पिता का नाम	वर्तमान तैनाती जनपद (राजस्व निरीक्षक के पद पर)	नवीन तैनाती जनपद/स्थल (नायब तहसीलदार के पद पर)
1	2	3	4	5	6
1.	2182	प्रवीण कुमार वर्मा	रामबढ़ाई वर्मा	देवरिया	आजमगढ़
2.	2183	प्रदीप कुमार गोंड	मोती लाल गोंड	गाजीपुर	बागपत
3.	2184	पंकज सिंह राना	महेन्द्र सिंह राना	पीलीभीत	बिजनौर
4.	2185	दुर्गेश प्रसाद	भरत प्रसाद	देवरिया	बलिया
5.	2186	रवि कुमार	सुरेश महतो	महराजगंज	बस्ती

3– नव प्रोन्नत नायब तहसीलदारों को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली–2003 (यथासंशोधित) के नियम–18 में विहित प्राविधान के अनुसार नियुक्ति के पश्चात् साढ़े चार माह का विहित प्रशिक्षण प्राप्त कर अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। उक्त प्रशिक्षण प्राप्त कर अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण किये बिना उनसे न्यायिक कार्य नहीं लिया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु निर्देश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

4– नव प्रोन्नत नायब तहसीलदारों की ज्येष्ठता नायब तहसीलदार संवर्ग में उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली–1991(अद्यावधिक संशोधन सहित) के सुसंगत नियमों के अनुसार बाद में निर्धारित की जायेगी।

5– नव प्रोन्नत नायब तहसीलदारों को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली–2003 में प्राविधानित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

6– उपर्युक्त पदोन्नत कार्मिकों में से किसी भी कार्मिक के विरुद्ध यदि वर्तमान में विभागीय कार्यवाही संस्थित कर आरोप पत्र निर्गत कर दिया गया हो, निलम्बित कर दिया गया हो अथवा अभियोजन स्वीकृति प्रदान कर दी गयी हो, तो संबंधित जिलाधिकारी द्वारा उक्त कार्मिक को किसी भी दशा में पदोन्नत पद पर

कार्यभार ग्रहण करने हेतु अवमुक्त नहीं किया जायेगा और न ही पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा अपितु अद्यतन स्थिति से परिषद को तत्काल अवगत कराया जायेगा, ताकि शासनादेश संख्या–13/21/89–का–1–1997, दिनांक 28.05.1997 में निहित प्राविधानानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

राजस्व परिषद के आदेश से,

(मनीषा त्रिघाटिया)
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या एवं दिनांकः उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1– प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

2– मंडलायुक्त, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली, मेरठ, आजमगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, बस्ती, उ0प्र0।

3– जिलाधिकारी, देवरिया, गाजीपुर, पीलीभीत, महराजगंज, आजमगढ़, बागपत, बिजनौर, बलिया, बस्ती, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने से संबंधित नव प्रोन्नत नायब तहसीलदारों को तैनाती स्थल पर यथास्थिति योगदान आख्या प्रस्तुत करने हेतु तत्काल अवमुक्त करें तथा नव प्रोन्नत नायब तहसीलदारों को तत्काल कार्यभार ग्रहण कराते हुए तदनुसार परिषद को अवगत कराने का कष्ट करें।

4– सचिव, लोक सेवा आयोग, प्रयागराज को उनके पत्र दिनांक 08.11.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5– प्रभारी अधिकारी, अनुभाग–4, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

6– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त प्रोन्नति आदेश को राजस्व परिषद की वेबसाइट को प्रदर्शित कराया जाना सुनिश्चित करें।

7– निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष/मा0 सदस्य/आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।

8– गार्ड फाइल हेतु।

(मनीषा त्रिघाटिया)
आयुक्त एवं सचिव।